287

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह
सदस्य

पुर्नविलोकन प्रकरण क्रमांक 2393–एक/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–09–2016 पारित द्वारा राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर के प्र0 क्र0 1111–चार/1999

.....

1. विन्द्रावन तनय कमतू अहीर
2. कमतू तनय छंगा अहीर (मृत)
2. (अ) लक्ष्मण पिता कमतू यादव अहीर
2. (ब) मिजाजी तनय कमतू अहीर
2. (स) हीरालाल तनय कमतू अहीर

सतस्त निवासी ग्राम धवाड तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म0प्र0

-----आवेदकगण

विरूद्ध

1. दुन्ना तनय टिर्रा चमार

निवासी ग्राम धवाड तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म0प्र0

2. बन्दी तनय लोटा (मृत) विधिक वारिस
2. धक्की पुत्र बन्दी (मृत)
2. (अ) प्यारीबाई बेवा छक्की अहीर
2. (ब) प्रकाश पुत्र छक्की अहीर
2. (स) प्रमोद पुत्र छक्की अहीर

समस्त निवासी ग्राम धवाड तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म0प्र0

3. कल्लू पुत्र बन्दी (मृत) वारिस
3. (क) महिला मत्थी पत्नि कल्लू यादव
3. (ख) मुलायम पुत्र कल्लू यादव
3. (ग) राजकुमारी पुत्री कल्लू यादव
3. (घ) देवका पुत्री कल्लू यादव

3. (ड) चन्दा पुत्री कल्लू यादव
3. (च) सूरज पुत्री कल्लू यादव
3. (छ) रोशनी पुत्री कल्लू यादव
ना.वा. सरपरस्त मां मत्थी पत्नि कल्लू यादव
निवासी ग्राम धवाड तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म0प्र0
4. महिला बच्ची पुत्री बन्दी अहीर पत्नि मन्नू अहीर
निवासी ग्राम शिवराजपुर तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म0प्र0

-----अनावेदकगण

.....

श्री एस0के श्रीवास्तव एवं श्री बी0पी0 खरे, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 26 सितम्बर 2016 को पारित)

यह पुनर्विलोकन आवेदन इस न्यायालय द्वारा पारित निगरानी प्रकरण क्र. 1111–चार/99 में पारित आदेश दिनांक 24.06.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत दिया गया है।

2– प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि, अनावेदक क्रमांक 1 दुन्ना द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के समक्ष आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 113 म.प्र.भू–राजस्व संहिता का प्रस्तुत कर भूमि खसरा नम्बर 288 रकवा 4.913 हैक्टेयर एवं 291/3 रकवा 1.157 हैक्टेयर कुल किता 2 रकवा 6.070 हैक्टेयर स्थित ग्राम राजपुर तहसील राजनगर जिला छतरपुर म.प्र. उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है जिसे लिपिकीय भूल के कारण आवेदक बृन्दावन का नाम दर्ज हो

गया है जिस लिपिकीय त्रुटि को सुधारा जावे, इसी प्रकार का आवेदन अनावेदकगण क्रमांक 2 मृत बन्दी के द्वारा भूमि खसरा ने 293 के संबन्ध में दिया गया था अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 17-05-99 को आदेश पारित करते हुये लिपिकीय त्रुटि मानकर अनावेदक क्रमांक 1 के पक्ष में विवादित भूमि दुन्ना के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया आवेदकगण द्वारा आदेश की अपील न कर दिनांक 07-07-95 को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पुर्नविलोकन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कलेक्टर के समक्ष पुर्नविलोकन की अनुमति बाबत प्रेषित किया, जिसमें दिनांक 17-10-95 को पुर्नविलोकन की अनुमति प्रदान की गयी अनावेदक दुन्ना द्वारा उक्त अनुमति के विरूद्ध निगरानी अपर कमिश्नर सागर के समक्ष प्रस्तुत की जो दिनांक 31-05-99 को स्वीकार की गई और कलेक्टर छतरपुर का आदेश दिनांक 17-10-95 निरस्त किया गया। निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31-10-99 के विरूद्ध निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई थी जो दिनांक 22-05-2001 को इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की गई थी जिसके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष रिट याचिका क्रमांक 3462/2001 अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा प्रस्तुत की, जिसके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19-06-2012 को अपने आदेश के द्वारा इस न्यायालय का आदेश दिनांक 21-05-99 निरस्त कर इस निर्देश के साथ वापस की, कि प्रकरण का निराकरण नये सिरे से आवेदक वृन्दावन एवं कमतू को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये विधि अनुसार प्रकरण

का निराकरण करें यहां यह उल्लेख किया जाना उचित होगा कि मूल प्रकरण धारा 113 म.प्र.भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत का है और माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश विधि अनुसार निराकरण करने का प्राप्त हुआ है।

3– आवेदकगणों ने पुर्नविलोकन के आवेदन पत्र में मुख्य रूप से वे तथ्य उठाये हैं। आवेदन अनुसार उनके पक्ष में विवादित भूमि नामांतरण पंजी क्रमांक 22 आदेश दिनांक 27–09–69 के द्वारा तहसीलदार के आदेश से दर्ज की गई थी इस कारण धारा 113 की परिधि में नहीं थी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण पक्षों को सुनवाई उपरांत निराकरण करने का निर्देश था किन्तु पक्षकार क्रमांक 6 कमतू की मृत्यु हो चुकी थी उसके विधिक वारिस अभिलेख पर नहीं लिये गये तथा मृत व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है इस संबन्ध में राजस्व निर्णय 2005 पृष्ठ 72 उच्च न्यायालय आर.एन. 1999 में पृष्ठ 401 उच्च न्यायालय रा.नि. 2000 पृष्ठ 161 उच्च न्यायालय की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया गया है। संवत् 2011 में विंध्यप्रदेश में दर्ज प्रवृष्टियां, अधिकार अभिलेख और तत्समय म.प्र.भू.राजस्व संहिता लागू नहीं थी। इस कारण तत्समय की प्रवृष्टियां धारा 113 के अनुसार नहीं सुधारी जा सकती थी।

4– अनावेदकगण के विद्धांन अधिवक्ता ने तर्क के दौरान बताया कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अपीलीय आदेश था जिसके विरूद्ध अपील नहीं की गई है अनुविभागीय अधिकारी ने पुर्नविलोकन की स्वीकृति के बाबत प्रकरण भेजा लेकिन भेजने के पूर्व उन्होने तथा कलेक्टर द्वारा स्वीकृति देने के पूर्व अनावेदक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया उन्होने यह भी

तर्क दिया कि प्रकरण का निराकरण गुणदोषों पर नहीं किया जा सकता है क्योंकि किसी भी न्यायालय द्वारा प्रकरण में गुणदोषों पर आदेश पारित नहीं किया है उन्होंने मेरा ध्यान रा.नि. 1979 पृष्ठ 521 की ओर आकर्षित किया है उनका कहना था कि नामांतरण से कोई स्वत्व अर्जित नहीं होता है 98/– रूपये के अपंजी विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण आदेश बगैर सूचना के किया है।

5– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेख एवं इस न्यायालय का प्रकरण क्रमांक 1111–चार/99 का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विवादित आदेश दिनांक 17–05–95 धारा 113 के आधीन पारित किया है। मैंने नामांतरण पंजी क्रमांक 22 दिनांक 20–06–69 का अवलोकन किया है जिससे यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि का नामांतरण तहसीलदार के आदेश से किया गया है जो आदेश अपीलीय आदेश था जिसके विरूद्ध कोई अपील नहीं की गई है। अनुविभागीय अधिकारी का आदेश धारा 113 की परिधि में नहीं था उन्हें धारा 113 के तहत मात्र लिपिकीय भूल जो दोनों पक्ष स्वीकार करते हों, को सुधार करने का अधिकार था, परन्तु उनके द्वारा कानून के विपरीत आदेश पारित किया गया है। विधि के विपरीत पारित आदेश किसी भी स्थित में यथावत नहीं रखा जा सकता है। यह विधि का सर्वमान्य सिद्धांत है इस न्यायालय को धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता के आधीन

किसी भी राजस्व अधिकारी द्वारा पारित आदेश, कार्यवाही को देखने का व उसके संबन्ध में आदेश करने की शक्ति प्राप्त है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह पुनर्विलोकन आवेदन स्वीकार किया जाता है। इस आदेश के पूर्व की समस्त कार्यवाहियां/आदेश निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहसीलदार राजनगर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–05–95 के पूर्व की स्थिति में राजस्व अभिलेखों में आवेदकगणों के नाम दर्ज करें।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर